फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमति गोपीबाई पत्नि भैरूलाल कुम्हार निवासी वणी तहसील भदेसर

बनाम

श्री चैनसिंह पिता शिवसिंह राजपूत निवासी वणी तहसील भदेसर वगैरा

प्रकरण संख्या 42/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली दिनांक 16.09.2022 से बहस की स्टेज पर लम्बित चल रही है। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता उभय पक्ष दिनांक 16.09.2022 से उक्त प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	